



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012021-224311
CG-DL-E-09012021-224311

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14|
No. 14|

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2021/ पौष 18, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2021/PAUSHA 18, 1942

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 16(अ).—भारतीय तार मार्गाधिकार नियम, 2016 के नियम 14 के उप-नियम (2) के नियमों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग से, केंद्र सरकार ने संचार मंत्रालय, (दूरसंचार विभाग) भारत सरकार के अधिसूचना 624 (ई.) दिनांक 19 जून, 2017, भारत के असाधारण राजपत्र, के भाग-II, खंड-3, उप-भाग (i) में प्रकाशित, दिनांक 22 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में-

(i) क्रम सं. 5 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नामित अधिकारी का पद
"5क.	गोवा	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी";

(ii) क्रम सं. 9 और इससे संबंधित प्रविष्टियां, हटा दी जाएंगी;

(iii) क्रम सं. 12 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएंगी, अर्थात्:-

"12क.	मध्य प्रदेश	प्रधान सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग";
-------	-------------	--

(iv) क्रम सं. 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएंगी, अर्थात्:-

“19क.	राजस्थान	प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग”;
-------	----------	---

(v) क्रम सं. 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएंगी, अर्थात्:-

“20क.	तमिलनाडु	प्रधान सचिव, सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
20ख.	तेलंगाना	प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और संचार विभाग”;

(vi) क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएंगी, अर्थात्:-

“27क.	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी”;
-------	---------------------------------	----------------------------

(vii) क्रम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएंगी, अर्थात्:-

“28क.	जम्मू एवं कश्मीर	वित्तिय आयुक्त (राजस्व)
28ख.	लद्दाख	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी” .

[फा. सं. 2-6/2014-नीति-1 (खंड-111)]

हरि रंजन राव, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना दिनांक 22 जून, 2017 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-11, खण्ड-3 उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 624 (अ), दिनांक 19 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2021

G.S.R. 16(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 14 of the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Communications, (Department of Telecommunications) number G.S.R. 624(E), dated the 19th June, 2017, published in Part-II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 22nd June, 2017, namely:—

In the said notification, in the TABLE-

(i) after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

S.No.	Name of the State Government / Union territory(UT)	Designation of the officer nominated
“5A.	Goa	Secretary, Information Technology”;

(ii) serial number 9 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(iii) after serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

“12A.	Madhya Pradesh	Principal Secretary, Science and Technology Department”;
-------	----------------	---

(iv) after serial number 19 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

“19A.	Rajasthan	Principal Secretary, Department of Information Technology and Communication”;
-------	-----------	---

(v) after serial number 20 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

“20A.	Tamil Nadu	Principal Secretary to the Government, Information Technology Department
20B.	Telangana	Principal Secretary, Information Technology, Electronics and Communications Department”;

(vi) for serial number 27, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“27.	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	Secretary, Information Technology”;
------	--	-------------------------------------

(vii) after serial number 28 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

“28A.	Jammu and Kashmir	Financial Commissioner (Revenue)
28B.	Ladakh	Secretary, Information Technology”.

[F.No. 2-6/2014-Policy-I(Vol.III)]
HARI RANJAN RAO, Jt.Secy.

Note:- The principal notification was published on the 22nd June, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 624(E), dated the 19th June, 2017.